सचिका स0–7 / विविध–28–39 / 2023–24 – 1523 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।**

पटना, दिनाक– 16 / 07 / 2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लारणपुर के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर, रू० 2,69,94,300 /– (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख चौरानवे हजार तीन सौ) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में रू० 1,30,00,000 /–(रूपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र की व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना के पत्राक–7821, दिनाक–15 12 2023 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 मे नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लारणपुर के भवन निर्माण हेतु रू० 2,69,94,300 /– (रुपये दो करोड उनहत्तर लाख चौरानवे हजार तीन सौ) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या–577(7), दिनाक–01.03 2024 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– मुख्य महाप्रबधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम, पटना के पत्राक–2179, दिनाक–27 05 2025 के माग के आलोक मे नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लारणपुर के भवन निर्माण हेतु राशि रू० 2,69,94,300 /– (रुपये दो करोड उनहत्तर लाख चौरानवे हजार तीन सौ) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 मे रू० 1,30,00,000 /–(रूपये एक करोड तीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3– उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश सं0–577(7), दिनांक–01.03.2024 के निहित बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवाऍ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

4– यह राशि मांग सख्या–20 के अन्तर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऍ, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0109–स्वास्थ्य उपकेन्द्र / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनो का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210020510109, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अतर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा ।

5– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऍ, बिहार, पटना होगे।

6– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाऍ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

7– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

8– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05 06 एव 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 2199/वि0, दिनाक 24 03 2017, 3758/वि0, दिनांक–31 05 2017, 9470/वि०, दिनाक–20 10 2023 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

9– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

10– प्रस्ताव एव प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7/विविध–28–39/2023–24 के पृष्ठ–. . . /टि0 मे प्राप्त है ।

12– सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.7.25

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

Alpana

ज्ञापांकः– 153 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक– 16/07/2025

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.7.25

सरकार के अपर सचिव

Alpana